"In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.01/2026/06/47-of-2-2026, dated 30 **January, 2026**

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION
Miscellaneous

No.01/2026/06/47-Ka-2-2026
Dated- 30January, 2026, Lucnow,

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules with a view to provide relaxation of age limit and weightage for Research scholers of chief minister fellowship:

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RELAXATION OF AGE LIMIT AND WEIGHTAGE FOR RESERCH SCHOLERS OF CHIEF MINISTERS FELLOWSHIP FOR COMPETITIVE EXAMNATIONS) RULES, 2026

Short title and commencement	**1-**	**(i)**	These rules may be called The Uttar Pradesh Public Services (Relaxation of Age Limit And Weightage For Reserch Scholers Of Chief Minister Fellowship for Competitive Examinations) Rules 2026.
		(ii)	They shall come into force at once.
Application of these rules	**2-**		These rules will be applicable to the selections made by the Uttar Pradesh Public Service Commission and the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission.
Overriding effect	**3-**	**(1)**	These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or, orders, for the time being in force.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

Definitions	**4-**		In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:
		(a)	'Constitution' means the Constitution of India;
		(b)	'Commission' means the 'Uttar Pradesh Public Service Commission' and the 'Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;
		(c)	'Competent Authority' means the authority empowered to appoint research scholars to the Chief Minister Fellowship Programme;
		(d)	'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
		(e)	'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
		(f)	'Research Scholar' means a Research Scholar of the Uttar Pradesh Chief Minister's Fellowship Programme;
Age relaxation	**5-**	**(i)**	Research scholars of Chief Minister Fellowship Programme, who have obtained a certificate of successful completion of their tenure from the competent authority till the last date of application as per the advertisement, will be given the Relaxation up to 03 years in the maximum age limit prescribed in the relevant service rules for recruitment to the post in the service.
		(ii)	A candidate who has completed 01 year tenure/period as a research scholar will be given a relaxation of 01 year, a candidate who has completed 02 years tenure/period will be given a relaxation of 02 years and a candidate who has completed 03 years or more tenure/period will be given a relaxation of 03 years. Provided that: for the purpose of relaxation in age limit, the tenure will be calculated as on 1st July of

http://shasanadesh.up.gov.in

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>the advertisement year.

Age relaxation will be provided only to those research scholars who have completed the maximum age limit prescribed for government service while completing the Chief Minister Fellowship Programme.

Provided that:

candidates belonging to such category who are already eligible for any relaxation in the maximum age limit will not be granted any separate age relaxation.</td></tr>
<tr><td>weightage</td><td>6-</td><td></td><td>The Research Scholar of Chief Minister Fellowship Programme, who have obtained a certificate of successful completion of their tenure from the competent authority till the last date of submission of Application as per advertisement will be given the following weightage in the main examination to be conducted by the Commission:-
<table>
<tr><th rowspan="2">S. N.</th><th rowspan="2">Maximum marks prescribed in the main examination</th><th colspan="3">Weightage</th></tr>
<tr><th>Research Scholars who have completed 01 year duration</th><th>Research Scholars who have completed 02 years duration</th><th>Research Scholars who have completed 03 years or more duration</th></tr>
<tr><td>1-</td><td>Up to 100 Marks</td><td>1.0 mark</td><td>2.0 marks</td><td>3.0 marks</td></tr>
<tr><td>2-</td><td>101 to 500 Marks</td><td>1.5 marks</td><td>3.0 marks</td><td>4.5 marks</td></tr>
<tr><td>3-</td><td>501 to 1000 Marks</td><td>2.0 marks</td><td>4.0 marks</td><td>6.0 marks</td></tr>
<tr><td>4-</td><td>More than 1000 Marks</td><td>2.5 marks</td><td>5.0 marks</td><td>7.5 marks</td></tr>
</table>
NOTE: The cut off date for calculation of weightage will be the last date of</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

			submission of Application as per advertisement.
Relaxation in rules	**7-**	**(i)**	Where the State Government is satisfied that it is necessary or expedient to do so, it may, notwithstanding anything contained in these rules, can relax any provision of these rules in accordance with the prescribed procedure.

By order,

M. Devaraj

Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026
दिनांक: 30 जनवरी, 2026, लखनऊ

<u>अधिसूचना</u>
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदो के लिए आयु सीमा एवं अधिमान में शिथिलीकरण प्रदान करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदो के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ **1-** **(एक)** यह नियमावली " उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदो के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026" कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

इस नियमावली का लागू होना **2-** यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किये जाने वाले चयनों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव **3-** यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं **4-** जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:

(क) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

(ख) 'आयोग' का तात्पर्य 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग' और 'उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' से है;

(ग) 'सक्षम प्राधिकारी' का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदो की नियुक्ति के लिए

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सशक्त है;

(घ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ड.) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) 'अनुसंधानविद' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद से है;

आयु शिथिलीकरण **5-** **(एक)** मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदो जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जायेगा।

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अनुसंधानविद के रूप में 01 वर्ष का अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, कोई अभ्यर्थी जो 02 वर्ष का अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे दो वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा और कोई अभ्यर्थी 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि/कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा

परन्तु

आयु सीमा में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से की जाएगी।

(तीन) आयु शिथिलीकरण केवल उन्ही अनुसंधानविदो को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूर्ण करते समय सरकारी सेवा हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर लिया हो।

परन्तु यह कि

ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में किसी शिथिलीकरण हेतु पहले से ही पात्र हैं उन्हें कोई पृथक से आयु शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा।

http://sha

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

अधिमान 6- मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अधिमान दिया जाएगा:-

क्रम सं0	**मुख्य परीक्षा में विहित अधिकतम अंक**	**अधिमान**		
		अनुसंधानविद जो 01 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	**अनुसंधानविद जो 02 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो**	**अनुसंधानविद जो 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि पूर्ण कर ली हो**
1-	**100 अंक तक**	**1.0 अंक**	**2.0 अंक**	**3.0 अंक**
2-	**101 से 500 अंक तक**	**1.5 अंक**	**3.0 अंक**	**4.5 अंक**
3-	**501 से 1000 अंक तक**	**2.0 अंक**	**4.0 अंक**	**6.0 अंक**
4-	**1000 से अधिक**	**2.5 अंक**	**5.0 अंक**	**7.5 अंक**

टिप्पणी- अधिमान की गणना हेतु कट-ऑफ का दिनांक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक होगा।

नियमों में शिथिलता 7- जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहॉ वह इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के किसी उपबन्ध को विहित प्रक्रियानुसार शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।